



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-3516/MP/6/2024-ESDW (RU-I)

दिनांक: 10.09.2025

सेवा में,

सुश्री मेंहदी बाई,
ग्राम-कुसम्या,
तहसील-निवाली,
जिला-बडवानी,
मध्य प्रदेश

विषय: पैतृक कृषि भूमि में नाम दर्ज किए जाने के संबंध में सुश्री मेंहदी बाई एवं अन्य, ग्राम-कुसम्या, तहसील, निवाली, जिला-बडवानी, मध्य प्रदेश से प्राप्त दिनांक 25.10.2024 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 19.09.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(R.K. Dubey/आर. के. दुबे)
Deputy Director/उप-निदेशक
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839